न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 33/2025
दायर दिनांक : 03/06/2025
निर्णय दिनांक : 13/10/2025

उनवान

1 चान्दमल पुत्र बाबुलाल जाटव निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2 सुरजमल पुत्र बाबुलाल जाटव निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1 मांगीलाल पिता जालम जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2 परसराम पिता वरदा जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3 मोहनलाल पिता वरदा जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4 शंकरलाल पिता सुरजमल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5 सुरेश पिता सुरजमल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
6 जगदीश पिता सुरजमल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
7 प्रकाश पिता सुरजमल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
8 भैरूलाल पिता हीरालाल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
9 गंगाराम दास पिता लक्ष्मण दास वैष्णव निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 7 व 9 उपस्थित व पत्थरगढी की जाने में कोई आपत्ति नही होना दर्ज कराया। शेष अप्रार्थीगण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 वाद सूचना अनुपस्थित होने से कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम** निलोद **प० ह०** निलोद **तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के खाता सं० 118 आ०न० 2403 रकबा 0.22 है०, आ०न० 2404 रकबा 0.18 है०, आ०न० 2406 रकबा 0.18 है०, आ०न० 2411 रकबा 0.25 है०, आ०न० 2412 रकबा 0.25 है०, आ०न० 2413 रकबा 0.58 है०, आ०न० 2414 रकबा 0.02 है०, आ०न० 2415 रकबा 0.19 है०, आ०न० 2416 रकबा 0.12 है०, आ०न० 2417 रकबा 0.23 है०, आ०न० 2419 रकबा 0.19 है०, आ०न० 2420 रकबा 0.22 है०, कुल किता 12 कुल रकबा 2.63 है० खाता संख्या 119 आ०स० 2405 रकबा 0.27 है० आ०स० 2407 रकबा 0.32 है० कुल किता 02 रकबा 0.59 है०** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.07 10:46:24 IST
Reason: SelfAttested